

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ..... सुपुत्र

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ..... सुपुत्र

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... देवदास ..... व भू.अ.नि. .... सुपुत्र

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... सुपुत्र ...../नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार

पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रवोगाणावाता तहसील ..... व

जिला सुपुत्र को अमाबन्दी सम्बन्ध 2024-27 में खाता संख्या 85 में वर्तमान में

द्वारा प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	रवोगाणावाता	85	मांगु फुलुरजा	मांगीलाल फुलुरजा राम

प्रभारी अधिकारी सिविल  
पीठासीन अधिकारी सुपुत्र  
पंचायत लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 52

दिनांक :- 27/5/24

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार सुपुत्र को भेजकर लेख कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री मांगीलाल को सूचनाएं।

3. रचित पत्रवाली।

प्रभारी अधिकारी सिविल  
पंचायत लोक अदालत सुपुत्र  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर